

समाहरणालय गिरिडीह।

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-बलहारा थाना-धनवार, थाना सं०-20, अंचल-धनवार, जिला-गिरिडीह में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा बलहारा (SH-13पर)-पटना-पिहरा-खेरदा (MDR-113 पर) पथ (कुल लं० 36.950 कि०मी०) एवं पटना-गांवा लिंक पथ (कुल लं०-2.17 कि०मी०) कुल लं० 36.950 कि०मी० के पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण सहित) हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-बलहारा, थाना-धनवार, थाना सं०-20, अंचल-धनवार जिला-गिरिडीह में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.8950 एकड़, यानि 0.3622 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है.....

क्रसं.	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सौमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	13	1287/1	रैयती	टांड दो	0.0075	शंकर प्र० वर्मा व० कैलाश प्र० वर्मा पिता स्व० तालेश्वर महतो	प्लॉट नं. 1285	प्लॉट नं. 1287	प्लॉट नं. 1287	रास्ता
2	13	1287/2	रैयती	टांड दो	0.0037	शिव कुमार वर्मा पिता स्व० हाड़ी महतो	प्लॉट नं. 1287	प्लॉट नं. 1287	प्लॉट नं. 1287	रास्ता
3	13	1287/3	रैयती	टांड दो	0.0038	नारायण महतो पिता स्व० गुलाब महतो	प्लॉट नं. 1285	प्लॉट नं. 1287	प्लॉट नं. 1287	रास्ता
4	13	1288/1	रैयती	टांड दो	0.0039	प्रसादी महतो पिता स्व० माथुर महतो	प्लॉट नं. 1287	प्लॉट नं. 1288	प्लॉट नं. 1288	रास्ता
5	13	1288/2	रैयती	टांड दो	0.0021	सुखदेव महतो पिता स्व० फतु महतो	प्लॉट नं. 1287	प्लॉट नं. 1288	प्लॉट नं. 1288	रास्ता
6	13	1290/1	रैयती	टांड दो	0.0031	सुखदेव महतो पिता स्व० फतु महतो	प्लॉट नं. 1290	प्लॉट नं. 1291	प्लॉट नं. 1291	रास्ता
7	13	1290/2	रैयती	टांड दो	0.0057	रितु महतो पिता स्व० फतु महतो	प्लॉट नं. 1290	प्लॉट नं. 1291	प्लॉट नं. 1291	रास्ता
8	13	1290/3	रैयती	टांड दो	0.0072	जितलाल प्र० वर्मा पिता स्व० चुंडी महतो	प्लॉट नं. 1290	प्लॉट नं. 1291	प्लॉट नं. 1291	रास्ता
9	13	1290/4	रैयती	टांड दो	0.0060	पंकज कुमार वर्मा पिता स्व० प्रयाग महतो व० विजय प्र० वर्मा पिता स्व० रेवत महतो	प्लॉट नं. 1290	प्लॉट नं. 1291	प्लॉट नं. 1291	रास्ता

19/05/20

19.05.20

19.05.20

10	13	1291/1	रैयती	टांड दो	0.0058	शंकर प्र० वर्मा वो कैलाश प्र० वर्मा पिता स्व० तालेश्वर महतो	प्लॉट नं. 1290	प्लॉट नं. 1291	प्लॉट नं. 1291	रास्ता
11	13	1291/2	रैयती	टांड दो	0.0022	महाबीर महतो वो एतवारी महतो वो बलदेव महतो पिता स्व० प्रेम महतो	प्लॉट नं. 1290	प्लॉट नं. 1291	प्लॉट नं. 1291	रास्ता
12	13	1294/1	रैयती	टांड दो	0.0027	मालती देवी पति हिरालाल साव	प्लॉट नं. 1292	प्लॉट नं. 1294	प्लॉट नं. 1294	रास्ता
13	13	1294/2	रैयती	टांड दो	0.0033	चुन्नी महतो पिता स्व० ढालो महतो	प्लॉट नं. 1292	प्लॉट नं. 1294	प्लॉट नं. 1294	रास्ता
14	13	1295	रैयती	टांड दो	0.0080	चुन्नी महतो पिता स्व० ढालो महतो	प्लॉट नं. 1294	प्लॉट नं. 1295	प्लॉट नं. 1295	रास्ता
15	13	1296	रैयती	टांड दो	0.0160	चुन्नी महतो पिता स्व० ढालो महतो	प्लॉट नं. 1295	प्लॉट नं. 1296	प्लॉट नं. 1296	रास्ता
16	4	842/1	रैयती	टांड एक	0.0072	भैरो महतो वो नारायण महतो पिता स्व० गुलाब महतो	प्लॉट नं. 891	प्लॉट नं. 842	रास्ता	प्लॉट नं. 842
17	4	842/2	रैयती	टांड एक	0.0058	रामचन्द्र महतो पिता स्व० बुधन महतो	प्लॉट नं. 891	प्लॉट नं. 842	रास्ता	प्लॉट नं. 842
18	4	841/1	रैयती	टांड एक	0.0070	महाबीर महतो पिता स्व० प्रेम महतो	प्लॉट नं. 842	प्लॉट नं. 841	रास्ता	प्लॉट नं. 841
19	4	841/2	रैयती	टांड एक	0.0070	बालदेव महतो पिता स्व० प्रेम महतो	प्लॉट नं. 842	प्लॉट नं. 841	रास्ता	प्लॉट नं. 841
20	4	839	रैयती	टांड दो	0.0060	एतवारी महतो पिता स्व० प्रेम महतो	प्लॉट नं. 841	प्लॉट नं. 839	रास्ता	प्लॉट नं. 839
21	4	838/1	रैयती	टांड दो	0.0010	एतवारी महतो पिता स्व० प्रेम महतो	प्लॉट नं. 839	प्लॉट नं. 838	रास्ता	प्लॉट नं. 838
22	4	838/2	रैयती	टांड दो	0.0050	लक्ष्मण महतो वो बालेश्वर महतो पिता स्व० बुधन महतो	प्लॉट नं. 839	प्लॉट नं. 838	रास्ता	प्लॉट नं. 838
23	4	837/1	रैयती	टांड दो	0.0035	विश्वनाथ प्र० वर्मा पिता स्व० रेवा महतो	प्लॉट नं. 838	प्लॉट नं. 837	रास्ता	प्लॉट नं. 837
24	4	837/2	रैयती	टांड दो	0.0035	विरेंद्र वर्मा वो अरविन्द वर्मा पिता स्व० जगदीश महतो	प्लॉट नं. 838	प्लॉट नं. 837	रास्ता	प्लॉट नं. 837
25	4	837/3	रैयती	टांड दो	0.0040	जयदेव प्र० वर्मा पिता स्व० रेवा महतो	प्लॉट नं. 838	प्लॉट नं. 837	रास्ता	प्लॉट नं. 837
26	17	829	रैयती	टांड दो	0.0080	लालो महतो पिता स्व० शिबल महतो	प्लॉट नं. 837	प्लॉट नं. 829	रास्ता	प्लॉट नं. 829
27	17	827/1	रैयती	टांड दो	0.0015	भुनेश्वर प्र० वर्मा पिता स्व० नथु महतो	प्लॉट नं. 828	प्लॉट नं. 827	रास्ता	प्लॉट नं. 827
28	17	827/2	रैयती	टांड दो	0.0015	खुसरु महतो पिता स्व० नथु महतो	प्लॉट नं. 828	प्लॉट नं. 827	रास्ता	प्लॉट नं. 827
29	17	828	रैयती	टांड दो	0.0040	अज्ञात	प्लॉट नं. 829	प्लॉट नं. 828	रास्ता	प्लॉट नं. 828
30	17	824/1	रैयती	परती कदीम	0.0009	अमृत महतो उर्फ हाडी महतो पिता स्व० बन्धु महतो	प्लॉट नं. 824	प्लॉट नं. 824	रास्ता	प्लॉट नं. 824
31	17	824/2	रैयती	परती कदीम	0.0101	प्रमेश्वर मोदी वो नागेश्वर मोदी पिता स्व० वंशी मोदी	प्लॉट नं. 824	प्लॉट नं. 824	रास्ता	प्लॉट नं. 824

Arjun
19/05/20

Arjun
19.05.20
का.प्र.

Arjun
19.05.2020

32	17	824/3	रैयती	परती कदीम	0.0100	अमृत महतो उर्फ हाडी महतो पिता स्व० बन्धु महतो	प्लॉट नं. 824	प्लॉट नं. 824	रास्ता	प्लॉट नं. 824
33		917	रैयती	कृषि	0.0400	नकुलदेव महतो वगैरह पिता स्व० बद्दी महतो	प्लॉट नं. 917	प्लॉट नं. 917	प्लॉट नं. 917	रास्ता
34		910	रैयती	टांड दो	0.0170	विश्वनाथ प्र० वर्मा पिता स्व० रेवा महतो वो बिरेन्द्र महतो पिता स्व० जगदीश महतो	प्लॉट नं. 910	प्लॉट नं. 910	प्लॉट नं. 910	रास्ता
35		909	रैयती	टांड तीन	0.0410	लालो महतो वगैरह पिता शिवल महतो	प्लॉट नं. 909	प्लॉट नं. 909	रास्ता	प्लॉट नं. 909
36	10	502	रैयती	टांड दो	0.0700	अज्ञात	प्लॉट नं. 502	प्लॉट नं. 502	प्लॉट नं. 502	रास्ता
37	10	396	रैयती	टांड तीन	0.0820	मुखलाल महतो पिता स्व० खुभलाल महतो	प्लॉट नं. 396	प्लॉट नं. 396	प्लॉट नं. 396	रास्ता
38	22	397	रैयती	टांड तीन	0.0920	रुपलाल महतो पिता अलख महतो	प्लॉट नं. 397	प्लॉट नं. 397	प्लॉट नं. 397	रास्ता
39	29	398	रैयती	टांड तीन	0.0640	बाबुलाल महतो पिता स्व० प्रेम महतो वो सुरेन्द्र महतो वो जनारदन वर्मा पिता स्व० जिवलाल महतो	प्लॉट नं. 398	प्लॉट नं. 398	प्लॉट नं. 398	रास्ता
40	29	401/1	रैयती	टांड तीन	0.0140	सिताराम महतो पिता स्व० काली महतो	प्लॉट नं. 401	प्लॉट नं. 401	प्लॉट नं. 401	रास्ता
41	29	401/2	रैयती	टांड तीन	0.0420	प्रयाग महतो वो सदानन्द वर्मा वो अयोध्या वर्मा पिता स्व० निरपत महतो	प्लॉट नं. 401	प्लॉट नं. 401	प्लॉट नं. 401	रास्ता
42	4	404	रैयती	टांड तीन	0.0200	विश्वनाथ प्र० वर्मा वो जयदेव प्र० वर्मा वो बिरेन्द्र वर्मा पिता स्व० रेवा महतो	प्लॉट नं. 404	प्लॉट नं. 404	प्लॉट नं. 404	रास्ता
43	4	405	रैयती	टांड तीन	0.0530	भुनेश्वर महतो वो लटु महतो वो भातु महतो पिता स्व० डोमन महतो	प्लॉट नं. 405	प्लॉट नं. 405	प्लॉट नं. 405	रास्ता
44	4	406/1	रैयती	टांड तीन	0.0305	अमृत महतो उर्फ हाडी महतो पिता स्व० बन्धु महतो	प्लॉट नं. 406	प्लॉट नं. 406	प्लॉट नं. 406	रास्ता
45	4	406/2	रैयती	टांड तीन	0.0152	भुनेश्वर प्र० वर्मा पिता स्व० नथु महतो	प्लॉट नं. 406	प्लॉट नं. 406	प्लॉट नं. 406	रास्ता
46	4	406/3	रैयती	टांड तीन	0.0153	खुसरु महतो पिता स्व० नथु महतो	प्लॉट नं. 406	प्लॉट नं. 406	प्लॉट नं. 406	रास्ता
47	4	407	रैयती	टांड तीन	0.0420	विश्वनाथ प्र० वर्मा वो जयदेव प्र० वर्मा वो बिरेन्द्र प्रसाद वर्मा पिता स्व० रेवा महतो	प्लॉट नं. 407	प्लॉट नं. 407	प्लॉट नं. 407	रास्ता
48	4	408	रैयती	टांड तीन	0.0300	बिहारी महतो पिता स्व० भातु महतो	प्लॉट नं. 408	प्लॉट नं. 408	प्लॉट नं. 408	रास्ता
49	4	410	रैयती	टांड तीन	0.0200	लालो महतो वगैरह पिता स्व० शिवल महतो	प्लॉट नं. 410	प्लॉट नं. 410	प्लॉट नं. 410	रास्ता
50	23	495	रैयती	टांड तीन	0.0320	अज्ञात	प्लॉट नं. 495	प्लॉट नं. 495	प्लॉट नं. 495	रास्ता
51	23	1285	रैयती	टांड तीन	0.0080	अज्ञात	प्लॉट नं. 1281	प्लॉट नं. 1285	प्लॉट नं. 1285	रास्ता
कुल					0.8950					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा-11 (1) के

19/05/20

19.05.20
सा.प्र.

19.05.20

उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय में किसी कार्य दिवस की कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेद्यन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह और उनके कर्मचारी.....को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

अमीन गिरिडीह। 19/05/20
कानूनगो गिरिडीह। 19.05.20
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह। 19/05/20
अपर समाहर्ता गिरिडीह। 21/05/20
समाहर्ता गिरिडीह। 21/5/20

ज्ञापांक.....0530...../भू0A0 दिनांक.....21/05/20

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, गिरिडीह को जिला गिरिडीह के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सूचना विज्ञान पदाधिकारी N.I.C. गिरिडीह को वेबसाईट www.giridih.nic.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, धनवार एवं जिला परिषद/संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अवर निबंधक, धनवार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह। 19/05
19/05/2020

अपर समाहर्ता, गिरिडीह। 21/05/2020

समाहर्ता, गिरिडीह। 21/5/2020

समाहरणालय गिरिडीह ।

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कैलीपहारी थाना-धनवार, थाना सं०-07, अंचल-धनवार, जिला-गिरिडीह में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा बलहारा (SH-13पर)-पटना-पिहरा-खेरदा (MDR-113 पर) पथ (कुल लं० 36.950 कि०मी०) एवं पटना-गांवा लिंक पथ (कुल लं०-2.17 कि०मी०) कुल लं० 36.950 कि०मी० के पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण सहित) हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-कैलीपहारी, थाना-धनवार, थाना सं०-07, अंचल-धनवार जिला-गिरिडीह में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.5130 एकड़, यानि 0.2076 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है.....

क्रसं.	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	7	14	रैयती	कृषि	0.1980	जब्बार अली	रास्ता	प्लॉट नं. 13	निज	रास्ता
2	5	36	रैयती	कृषि	0.0810	हलीम अली वगै० पिता सुलेमान अली वगै० जाबीर अली वगै० लतिफ अली वगै० सतार अली वगै० नबी मियां वगै० इद्रिस मियां वगै० मोजीम अली पिता बसारत अली सरफु अली पिता बसारत अली वगै० शमसुल अली पिता अहमद अली वगै० सुलेमान अली पिता भातु मियां	रास्ता	प्लॉट नं. 35	प्लॉट 19	प्लॉट 37
3	5	212	रैयती	धन खेत दो	0.1710	अज्ञात	प्लॉट नं. 213	रास्ता	प्लॉट नं. 431	प्लॉट नं. 208
4	2	388	रैयती	टॉड दो	0.0120	मोहन राय वगै०रह वगै० कमल राय पिता बुधन राय	प्लॉट नं. 389	रास्ता	प्लॉट नं. 387	प्लॉट नं. 430

29/4/20

05.05.20
कागु०

19/05/2020






19/05

5	1	432	रैयती	टॉड तीन	0.0510	हलीम मिया वगैरह पिता सुलेमान अली वो जाबिर अली वो लतिफ अली वो सतार अली	प्लॉट नं. 376	रास्ता	प्लॉट नं. 433	निज
कुल					0.5130					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय में किसी कार्य दिवस की कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेद्यन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह और उनके कर्मचारी.....को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनो) के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


 अमोन
 कानूनगो
 19/05
 21/05/2020
 21/05/2020
 गिरिडीह। कानूनगो गिरिडीह। गिरिडीह। अपर समाहर्ता गिरिडीह। समाहर्ता, गिरिडीह।

ज्ञापांक..... 06/2020 / भू0अ0 दिनांक..... 21/05/2020
 प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, गिरिडीह को जिला गिरिडीह के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सूचना विज्ञान पदाधिकारी N.I.C. गिरिडीह को वेबसाईट www.giridih.nic.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, धनवार एवं जिला परिषद/संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अवर निबंधक, धनवार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
गिरिडीह।


19.05.2020


19.5.2020



अपर समाहत्ता,
गिरिडीह।

21.05.2020



समाहत्ता,
गिरिडीह।

समाहरणालय गिरिडीह ।

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-करमाटांड थाना-धनवार, थाना, सं०-06, अंचल-धनवार, जिला-गिरिडीह में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा बलहारा (SH-13पर)-पटना-पिहरा-खेरदा (MDR-113 पर) पथ (कुल लं० 36.950 कि०मी०) एवं पटना-गांवा लिंक पथ (कुल लं०-2.17 कि०मी०) कुल लं० 36.950 कि०मी० के पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण सहित) हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-करमाटांड, थाना-धनवार, थाना सं०-06, अंचल-धनवार जिला-गिरिडीह में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.2800 एकड़, यानि 0.1133 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है.....

क्रसं.	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	8	111/1	रैयती	टांड तीन	0.0050	हदिश मियां पिता स्व० नबी मियां टहल मांझी वगैरह पिता स्व० नुनु मांझी वो जगदीश मांझी पिता स्व० सुकर मांझी वो भतु मांझी पिता स्व० पिरन मांझी वो सोना मांझी वगैरह पिता मझलू मांझी वो सवना मांझी वगैरह पिता स्व० मंझिया मांझी	प्लॉट नं. 111	प्लॉट नं. 119	प्लॉट नं. 111	रास्ता
2	8	111/2	रैयती	टांड तीन	0.1110	सदीक मियां वो हदीश मियां पिता स्व० नवी मियां वो मुसलीम अंसारी पिता स्व० मोहमद मियां टहल मांझी वगैरह पिता स्व. नुनु मांझी वो जगदीश मांझी पिता स्व० सुकर मांझी वो भतु मांझी पिता स्व० पिरन मांझी वो सोना मांझी वगैरह पिता मझलू मांझी वो सवना मांझी वगैरह पिता स्व० मंझिया मांझी	प्लॉट नं. 119	निज	निज	रास्ता
3	8	110	रैयती	टांड तीन	0.0320	जब्बार सेख पिता मोसाहिब सेख वो इमामन सेख वगैरह पिता सुकर सेख टहल मांझी वगैरह पिता स्व. नुनु मांझी वो जगदीश मांझी पिता स्व० सुकर मांझी वो भतु मांझी पिता स्व० पिरन मांझी वो सोना मांझी वगैरह पिता मझलू मांझी वो सवना मांझी वगैरह पिता स्व० मंझिया मांझी	119	प्लॉट नं. 119	प्लॉट नं. 119	रास्ता

19/05/20

19.05.20

19.05.20

19/05

4	109	रैयती	टांड तीन	0.0570	कयुम सेख वो अखतर सेख वगैरह पिता स्व0 हनिफ सेख टहल मांझी वगैरह पिता स्व. नुनु मांझी वो जगदीश मांझी पिता स्व0 सुकर मांझी वो भतु मांझी पिता स्व0 पिरन मांझी वो सोना मांझी वगैरह पिता मझलू मांझी वो सवना मांझी वगैरह पिता स्व0 मंझिया मांझी	प्लॉट नं. 119	प्लॉट नं. 119	प्लॉट नं. 119	रास्ता
5	107/1	रैयती	टांड तीन	0.0229	उसमान सेख पिता स्व0 जबादली सेख वो आलम सेख वो जहांगिर सेख वो समसेर सेख पिता स्व0 कादिम सेख टहल मांझी वगैरह पिता स्व. नुनु मांझी वो जगदीश मांझी पिता स्व0 सुकर मांझी वो भतु मांझी पिता स्व0 पिरन मांझी वो सोना मांझी वगैरह पिता मझलू मांझी वो सवना मांझी वगैरह पिता स्व0 मंझिया मांझी	निज	निज	रास्ता	निज
6	107/2	रैयती	कृषि	0.0100	कुर्बान सेख पिता स्व0 मनोहर सेख टहल मांझी वगैरह पिता स्व. नुनु मांझी वो जगदीश मांझी पिता स्व0 सुकर मांझी वो भतु मांझी पिता स्व0 पिरन मांझी वो सोना मांझी वगैरह पिता मझलू मांझी वो सवना मांझी वगैरह पिता स्व0 मंझिया मांझी	निज	निज	रास्ता	निज
7	107/3	रैयती	कृषि	0.0100	कुर्बान सेख पिता स्व0 मनोहर सेख टहल मांझी वगैरह पिता स्व. नुनु मांझी वो जगदीश मांझी पिता स्व0 सुकर मांझी वो भतु मांझी पिता स्व0 पिरन मांझी वो सोना मांझी वगैरह पिता मझलू मांझी वो सवना मांझी वगैरह पिता स्व0 मंझिया मांझी	निज	निज	रास्ता	निज
8	107/4	रैयती	कृषि	0.0321	कुर्बान सेख पिता स्व0 मनोहर सेख टहल मांझी वगैरह पिता स्व. नुनु मांझी वो जगदीश मांझी पिता स्व0 सुकर मांझी वो भतु मांझी पिता स्व0 पिरन मांझी वो सोना मांझी वगैरह पिता मझलू मांझी वो सवना मांझी वगैरह पिता स्व0 मंझिया मांझी	103	निज	रास्ता	निज
कुल				0.2800					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय में किसी कार्य दिवस की कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेद्यन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह और उनके कर्मचारी.....को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक

Atuly
19/05/20

Atuly
19.05.20
माध्य 0

Atuly
19.05.20

Atuly
19/05

अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

Ajay
19/05/20
अमीन
गिरिडीह।

Arjun
19.05.20
कानूनगो
गिरिडीह।

Arjun
19/05
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
गिरिडीह।

Arjun
21/05/20
अपर समाहर्ता
गिरिडीह।

Arjun
21/5/20
समाहर्ता,
गिरिडीह।

ज्ञापांक..... 07 गुठ / भू0अ0 दिनांक..... 21/05/20

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, गिरिडीह को जिला गिरिडीह के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सूचना विज्ञान पदाधिकारी N.I.C. गिरिडीह को वेबसाईट www.giridih.nic.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, धनवार एवं जिला परिषद/संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अवर निबंधक, धनवार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Arjun
19/05/20
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
गिरिडीह।

Arjun
21/05/20
अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

Arjun
21/5/20
समाहर्ता,
गिरिडीह।